वार्षिक रिपोर्ट

2002-03

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

7वाँ तल, कोर–3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003

फोन : 91–11–24361145, 24360216, फैक्स : 91–11–24360010, 24360058

ई–मेल : cercind@ndf.vsnl.net.in

वेबसाइट : www.cercind.org

विषय सूची

1.	आयोग का संक्षिप्त विवरण	1
2.	आयोग के अधिदेश	2
3.	कार्यलक्ष्य (मिशन) का विवरण	3
4.	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	4
5.	आयोग का मानव संसाधन	13
6.	पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन	15
	(क) केन्द्रीय सलाहकार समिति	15
	(ख) वार्षिक लेखा विवरण	19
	(ग) वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप	20
7.	वर्ष 2003 - 04 के लिए कार्यसूची	37
8.	उपाबंधों की सूची	39
	उपाबंध -1 - केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का संगठन चार्ट	40
	उपाबंध -2 - आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारिवृंद के ई-मेल आई.डी. और दूरभाष संख्या	41
	उपाबंध -3 - संगोष्ठियां/सम्मेलन/आदान-प्रदान कार्यक्रम, जिनमें भारत के बाहर आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/सचिव/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया	43
	उपाबंध -4 - ऐसे कार्यक्रम, जिनमें भारत में आयोग के कर्मचारिवृंद ने भाग लिया	44
	उपाबंध -5 - वर्ष 2002-03 के दौरान आयोग के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति	45

आयोग का संक्षिप्त विवरण

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्यांक 14) द्वारा जुलाई, 1998 में केन्द्र में एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की स्थापना की गई और इससे उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने और आपूर्ति तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से, विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए राज्यों में विनियामक आयोगों की स्थापना करना सुगम हो सका। अधिनियम का पूरा पाठ आयोग की वेबसाइट www.cercind.org पर उपलब्ध है।

यह आयोग न्यायिक-कल्प स्वरूप में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष पदेन-सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विधाओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अधिनियम के अधीन विहित केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम आयोग के सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

आयोग के अधिदेश

आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :-

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनिमयन करना ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनिमयन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में प्रवेश करती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है ;

(ग) ऊर्जा के अंतरराज्यिक पारेषण का विनिमयन करना जिसमें पारेषण उपयोगिताओं का टैरिफ भी सम्मिलित है ;

(घ) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना ;

(ङ.) टैरिफ नीति बनाने में केन्द्रीय सरकार को सहायता और सलाह देना जो;
(i) उपभोक्ताओं के लिए उचित हो, और
(ii) विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सुकर हो।

(च) विद्युत क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय विनियामक के लिए समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करना ;

(छ) विद्युत टैरिफ से संबंधित मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना ;

(ज) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) से संबंधित मामलों के संबंध में, उत्पादन कंपनियों या पारेषण उपयोगिताओं (यूटिलिटिज) के बारे में उठे विवादों की मध्यस्थता करना या उनका न्यायनिर्णयन करना ;

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट किसी भी अन्य मामले पर सरकार की सहायता करना और उसे सलाह देना; और

(ञ) अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के संनिर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदत्त करना।

अपने दायित्व के भीतर सौंपे गए कार्यकलापों के अधीन, आयोग उद्देश्यों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। इस उद्देश्य के प्रति, आयोग ने एक कार्यलक्ष्य विवरण तैयार किया है जो आगामी वर्षों के दौरान इसकी कार्य योजना को तैयार करने में इसका मार्गदर्शन करेगा।

कार्यलक्ष्य (मिशन) का विवरण

आयोग का आशय थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना, आपूर्ति की क्वालिटी में सुधार करना, निवेश को बढ़ाना और मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने हेतु संस्थागत अवरोधों को समाप्त करने के लिए सरकार को सलाह देना तथा इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग –

- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड की विरचना के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करेगा और तत्संबंधी संस्थागत ठहरावों की पुन:संरचना करने के संबंध में सलाह देगा।
- एक कारगर टैरिफ निर्धारण तंत्र को तैयार करेगा जिससे टैरिफ याचिकाओं का शीघ्रता से और समयबद्ध रूप में निपटान सुनिश्चित होगा और थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।
- सभी पणधारियों (स्टॉक होल्डर्स) को जानकारी देने में सुधार करेगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाएगा कि अंतरराज्यिक पारेषण के संबंध में, निवेश विनिश्चय भागीदारी पद्धति में पारदर्शी रूप से लिए जाएं और जो न्यूनतम लागत के आधार पर न्यायसंगत हों।
- थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बाजारों के विकास के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों को सुकर बनाएगा।
- प्रतिस्पर्धी बाजारों के सृजन के लिए प्रथम चरण के रूप में, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमाओं के भीतर पूंजी और प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास के अवरोधों को हटाने के संबंध में सलाह देगा।
- पर्यावरणीय विनियमों को तैयार करने में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करेगा।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री ए. के. बसु

अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक

(अप्रैल, 2002 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री ए.के.बसु इस समय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं।

श्री बसु का एक प्रतिभावान शैक्षणिक कैरियर रहा है। उन्होंने 1958 में विद्यालय अंतिम (मैट्रिकुलेशन) परीक्षा, पश्चिमी बंगाल से उत्तीर्ण की जिसमें उनका स्थान सभी छात्रों की योग्यताक्रम में प्रथम था। उन्होंने सन् 1962 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रसिडेंसी कालेज से बी. ए. (अर्थशास्त्र में आनर्स) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की।

उन्होंने, 1965 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदभार ग्रहण किया और उन्हें पश्चिमी बंगाल काडर आबंटित किया गया। उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार में, कलकत्ता नगर निगम के आयुक्त, शिक्षा सचिव, श्रम सचिव और प्रधान सचिव जैसे अनेक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे 1983 से 1987 तक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे।

श्री बसु ने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे 1976-77 के दौरान गृह मंत्रालय में उप-सचिव रहे। उन्होंने 1977 से 1980 के दौरान, संघ के शिक्षा, सामाजिक कल्याण और संस्कृति मंत्री के विशेष सहायक के रूप में कार्य किया। वे 1996-97 के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव रहे।

श्री बसु उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों के साथ बहुत लम्बे समय से जुड़े हुए हैं। वे 1988 से 1993 के दौरान, लौह और इस्पात विकास आयुक्त रहे और उसके पश्चात्, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। उन्होंने 1995-96 के दौरन संघ के योजना आयोग में भारत सरकार के लगभग बीस आर्थिक और अवसंरचना मंत्रालयों की योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में, अपर सचिव और

सलाहकार (उद्योग और खनिज) के रूप में कार्य किया। वे अगस्त, 1997 से 2000 तक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव रहे। श्री बसु ने जून, 2000 से 31 मार्च, 2002 तक ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने भारतीय विद्युत क्षेत्र में सुधार करने और उसकी पुर्नसरंचना करने के लिए एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक का काम किया जिसमें त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम के माध्यम से वितरण सुधार करना, विद्युत विधेयक, 2003 को तैयार करना, केन्द्रीय उपयोगिताओं के देयों का एक समय पर निपटान करना, हाइड्रो परियोजनाओं के लिए अध्ययन आरंभ करना, ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंध, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पुर्नसरंचना कार्यक्रम तैयार करना भी शामिल है।

श्री बसु को अप्रैल, 2002 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह एक कानूनी पद है जिसे विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन सृजित किया गया। उन्होंने शासकीय कारो बार के संबंध में, व्यापक रूप से भारत और विदेश में यात्राएं की हैं।

श्री डी.पी. सिन्हा

सदस्य

(अगस्त, 1998 -नवंबर, 2002)

श्री डी.पी. सिन्हा अगस्त, 1998 से ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं । वे बी. आई.टी. सिंदरी रांची विश्वविद्यालय से 1963 के इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार) में डिग्रीधारी है । उन्होंने वर्ष 1995-98 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (ग्रिड एवं प्रचालन) के रूप में भी कार्य किया है । विद्युत के अंतरराज्यिक और अन्तःक्षेत्रीय विनिमय, इसके व्यापार और लेन-देन से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक मुद्दों के विनियमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रादुर्भाव होने वाले भारतीय विद्युत ग्रिड की नींव रखी गयी थी । उसके पूर्व, वे वर्ष 1990 से 1995 तक मुख्य इंजीनियर (भार प्रेषण और दूरसंचार) तथा केन्द्रीय विद्युत दूरसंचार समन्वय समिति (पी.टी.सी.सी.) के अध्यक्ष थे जहां पर उन्होंने प्रणाली एकीकरण, स्केडा, नियंत्रण, संचार, समेकन और कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य किया । उन्होंने भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए "मास्टर दूरसंचार योजना" तैयार की, जो अब पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

उन्हें कनाडा, जाम्बिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिनियुक्ति पर रहने के फलस्वरूप, विद्युत इंजीनियरी के पहलुओं में गहन अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (1990-98) में पदस्थापित रहने के समय, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और ए.बी.टी. अधिसूचना के प्रारूप की प्रारंभिक संकल्पना/सृजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जिस पर बाद में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में अपेक्षित कार्यवाही की गई और कतिपय संशोधनों के बाद उसे अनुमोदित किया गया था । उनकी यह विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि और व्यापक अनुभव आयोग के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए महत्वपूर्ण धरोहर है ।

श्री जी.एस. राजामणि

सदस्य

(अगस्त, 1998 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री जी. एस. राजामणि अगस्त, 1998 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं । उन्होंने वर्ष 1965 से 1998 तक भारतीय रक्षा लेखा सेवा में कार्य किया है । वे विद्युत क्षेत्र में आने से पूर्व, रक्षा लेखा के अपर महानियंत्रक रहे हैं । उन्होंने संचार, पर्यावरण, इलैक्टानिकी, गैर-पांरम्परिक उर्जा स्रोत, कल्याण और रक्षा मंत्रालय सहित भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में कार्य किया है । वे केंद्रीय सचिवालय में अपने कार्य के दौरान अवर सचिव से लेकर संयुक्त सचिव तक के विभिन्न पदों पर रहे । अगस्त, 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री राजामणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक) और भारत सरकार के पदेन-अपर सचिव के पद पर आसीन रहे ।

वे मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है । वे राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली से स्नातक भी है ।

श्री जी.एस. राजामणि ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है । उन्होंने वर्ष 1994 में सियोल दक्षिण कोरिया में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस (यू.पी.यू.) में प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया । उन्होंने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के बजट को अंतिम रूप देने के संबंध में, 1995 में लंदन तथा स्विटजरलैंड का दौरा किया क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो, यू.पी.यू. की वित्त समिति का अध्यक्ष रहा है । वे अक्तूबर, 1995 में वाशिंगटन में विश्व बैंक तथा भू-परिषद् द्वारा प्रायोजित धारणीय विकास की सर्विसिंग, नवाचारी वित्त प्रबंधन में भारत के प्रतिनिधि थे । श्री राजामणि ने, विद्युत क्षेत्र में अवसंरचनात्मक तथा विनियामक सुधारों से संबंधित एक अध्ययन दौरे पर 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया तथा उन्होंने 1999 में यू.एस.ए.आई.डी. तथा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित "विद्युत क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन" से सम्बंधित ऊर्जा और पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया ।

श्री के.एन. सिन्हा

सदस्य

(मई, 2001 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री के.एन. सिन्हा ने, 11 मई, 2001 को विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद भार ग्रहण किया है । आयोग में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री सिन्हा सदस्य (योजना), केंन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारत सरकार के पदेन-अपर सचिव थे ।

उन्होंने 1962 में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक के ठीक बाद, श्री सिन्हा ने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक अभियन्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा उन्हें रामगंगा बहुउद्देशीय नदी परियोजना की इंजीनियरी एवं अभिकल्प का कार्य सौंपा गया । उन्होंने 1964 में केंन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा में कार्य भार ग्रहण किया । अपनी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करने के लिए श्री सिन्हा शिक्षा से जुड़े रहे और उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की तथा 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया । 1980 में, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण बिजली सहकारी संघ, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में तापीय विद्युत केंद्रों का प्रबंधन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी बेसिक आधुनिक प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए यू.एन. अध्येतावृति प्रदान की गई ।

श्री सिन्हा ने, देश के विद्युत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । अपने कैरियर के शुरूआती दिनों में, उन्होंने मणिपुर सरकार में कार्यपालक अभियंता के रूप में देश के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में

रहने वाले उपभोक्ताओं से "स्पाट बिलिंग" तथा "घर से ही नकद राशि एकत्र" करने से संबंधित अवधारणा लागू की थी । 13वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण समिति के सदस्य-सचिव और 16वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 13वीं तथा 16वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण रिपोर्ट निकालीं । ये दोनों ही रिपोर्टें लीक से हट कर थी जिसमें नई अवधारणाएं तथा दृष्टिकोण दिए गए थे और विद्युत ऊर्जा की मांग से संबंधित बहुत ही उपयोगी तथा यथार्थ प्रक्षेपण किए गए थे। वे विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता आमंत्रित करने हेतु तकनीकी-वित्तीय विधान की रूपरेखा बनाने के लिए उत्तरदायी समूह के सदस्य रहे । सदस्य (योजना), के. वि. प्रा. के पद पर रहते हुए, उन्होंने दो ऐतिहासिक दस्तावेजों - "द फ्यूल मैप आफ इंडिया" और "पावर आन डिमाण्ड बाई 2012" को अंतिम रूप दिया । ये दोनों ही दस्तावेज 2012 तक के समय में देश में विद्युत योजना बनाने के लिए आधार स्तंभ बन गए हैं । श्री सिन्हा ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रणाली तथा प्रकाशनों के क्रम को समाविट/उनकी पुनः डिजाइन की है । उन्होंने विद्युत क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टैरिफ प्रस्तावों की समीक्षा एवं संवीक्षा की प्रक्रिया, कार्य पद्धति तथा ढांचे को तैयार किया है । वे भारत-नेपाल विद्युत विनियम समिति के सह-अध्यक्ष रहे हैं । यह समिति भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय विद्युत विनियम के टैरिफ प्रभारों से संबंधित है । उन्होंने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक सांविधिक कार्य-परियोजना मूल्यांकन और विद्युत योजनाओं को तकनीकी-आर्थिक क्लीयरेंस देने की पद्धति को सुचारू रूप प्रदान किया । वे परियोजना मूल्यांकन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और फर्म फाइनेंशियल पैकेज एप्रेजल संबंधी स्थायी समिति के सह-अध्यक्ष रहे ।

श्री एच.एल. बजाज

अध्यक्ष के.वि.प्रा. और पदेन-सदस्य के.वि.वि.आ.
(जुलाई, 2002 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एच.एल. बजाज जुलाई, 2002 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) हैं । उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और ऊर्जा प्रणाली में स्नातकोत्तर किया ।

उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है । 1970 से पहले, उन्होंने संपूर्ण हरियाणा राज्य में विद्युतीकरण किया । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अपनी 14 वर्षों की सेवा में, उन्होंने भारत में विदेशी परियोजनाओं के लिए विद्युत उपकेंद्र और विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की रूपरेखा और उनकी डिजाइन तैयार की । उन्होंने एन.टी.पी.सी. के कारपोरेट कार्यालय के संविदा प्रबंध विभाग में विभिन्न पदों, जिसमें थोड़े समय के लिए महाप्रबंधक (परामर्शी) का पद भी है, पर भी कार्य किया । श्री बजाज सुपर थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं के लिए उत्तरदायी है । एन.टी.पी.सी. के साथ उनका 15 वर्षों का अनुभव बहुत ही रोमांचक रहा है, जहां उन्होंने 10,000 मेगावाट से अधिक के कोयला और गैस आधारित केंद्रों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

एन.टी.पी.सी. के पश्चिमी क्षेत्र, जो कि एन.टी.पी.सी. का अधिकांशतः एक तिहाई है, के प्रधान के रूप में, प्रतिवर्ष बिलियन डालर का कारोबार करने में अपना योगदान दिया तथा कार्यकरण में आमूल परिवर्तन किया जिसके फलस्वरूप, सभी पांच ऊर्जा केंद्रों के दक्षता स्तर और आई.एस. प्रमाणन में वृद्धि हुई । अपनी पदावधि के दौरान, इस क्षेत्र के कर्मचारियों ने, प्रधानमंत्री से उच्च प्रतिष्ठा वाला श्रमवीर

और श्रमरत्न पुरस्कार प्राप्त किया । उन्होंने एन.टी.पी.सी. के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्य किया ।

श्री बजाज ने जुलाई, 2002 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन-सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया । भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय होने के कारण, ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, संपूर्ण भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की उत्पादन क्षमता और पारेषण प्रणाली की योजना बनाने के लिए एक नोडल अभिकरण है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण हाइड्रो और थर्मल ऊर्जा के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाता है और ऊर्जा क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका भी अदा करता है ।

श्री बजाज परमाणु ऊर्जा कारपोरेशन बोर्ड के निदेशक और इलेक्ट्रो टेक्निकल डिविजन काउंसिल (आई.टी.डी.सी), भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं ।

इंजीनियरिंग सोसायटी, आई.ई.ई (यू.एस.ए) द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री बजाज ने ऊर्जा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए तीसरा मिलिनियम पुरस्कार, इंस्टिट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स, यू.के. (आई.ई.ई) द्वारा उत्कृष्ट इंजीनियर 2001 पुरस्कार, इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा श्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार, 2002, वर्ष 2001 का सर्वोच्च कारपोरेट प्रबंधक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पी.ई.सी.ओ.बी.ए पुरस्कार, 2001 प्राप्त किए । श्री बजाज इंस्टिट्यूशन आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (आई.ई.ई) यू.के. के अध्येता और चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स, इंडिया के अधिसदस्य और आल इंडिया मैनेजमेंट एसोशिएसन के अधिसदस्य हैं । श्री बजाज नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी (तत्कालीन डी. आई.टी.) के शासी निकाय के सदस्य हैं और ओम प्रकाश भसीन फाउंडेशन आफ दिल्ली के पुरस्कार बोर्ड के सदस्य हैं ।

ऊर्जा और सहबद्ध विषय संबंधी विभिन्न मंचों पर आमंत्रित वक्ता के रूप में श्री बजाज ने ऊर्जा और संविदा प्रबंध पर असंख्य लेख भी लिखे हैं ।

आयोग का मानव संसाधन

अधिनियम के अधीन आयोग के बहुत व्यापक दायित्व हैं । आयोग के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कार्यकुशलता इंजीनियरिंग, आर्थिक, वित्तीय प्रबंधन, लेखाकंन, विधि, पर्यावरण, सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य संबद्ध कार्य-क्षेत्रों में समुचित विशेषज्ञता और अनुभव वाले इसके कर्मचारियों की दक्षता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है । आयोग के प्रमुख मानव संसाधन की सूची उपाबंध-1 तथा उपाबंध-2 में दी गई है । इसके अतिरिक्त, आयोग सरकारी उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी व्यापक सुविज्ञता और अनुभव का भी उपयोग करना चाहता है । इन-हाउस कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए, आयोग परामर्शदाताओं की सेवा लेता है और इस प्रयोजन के लिए, इसने विनियम बनाए हैं । आयोग के कर्मचारिवृंद की स्थिति का ब्यौरा नीचे सारणी-1 में दिया गया है ।

सारणी -1
31 मार्च, 2003 के अनुसार आयोग में
स्वीकृत\ भरे हुए\ रिक्त पद

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	–
2.	प्रमुख	4	3	1
3.	संयुक्त प्रमुख	2	2	–
4.	उप प्रमुख	8	5	3
5.	सहायक प्रमुख	8	7	1
6.	न्यायपीठ अधिकारी	2	1	1

7.	सहायक सचिव (पी.एण्ड.ए.)	1	1	—
8.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	—
9.	प्रधान निजी सचिव	4	4	—
10.	निजी सचिव	5	3	2
11.	सहायक	5	4	1
12.	वैयक्तिक सहायक	7	4	3
13.	आशुलिपिक	4	3	1
14.	स्वागती–सह–दूरभाष आपरेटर	1	1	—
15.	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2	—	2
16.	चपरासी	4	2	2
17.	ड्राईवर	4	4	—
	योग	63	46	17

वर्ष 2002-03 के दौरान भर्ती की प्रास्थितिः

वर्ष 2001-02 के दौरान, निम्नलिखित रिक्त पदों को भरा गयाः

सारणी -2

वर्ष 2002-03 के दौरान भर्ती

क्रम सं.	पद का नाम	साक्षात्कार की तारीख	सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या	वास्तव में पदभार ग्रहण करने वाले अथ्यर्थियों की संख्या	टिप्पणियां
1.	प्रमुख (इंजी.)	6.11.2002	3	1	—
2.	संयुक्त प्रमुख (विधि)	25.10.2002	2	1	—
3.	उप प्रमुख (वित्त)	11.02.2003	2	1	—
4.	सहायक प्रमुख (इंजी.)	11.02.2003	1	1	—
5.	न्यायपीठ अधिकारी	31.01.2003	1	1	—
6.	प्रधान निजी सचिव	6.05.2002	3	2	—
7.	ड्राईवर	—	—	1	3.7.2002 से संविदा आधार पर

पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन

केंद्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.):

नीति निर्माण, अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं के साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता की निरंतरता और क्वालिटी, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा ऊर्जा की आपूर्ति तथा उपयोगिताओं द्वारा कार्य-निष्पादन के समग्र मानकों के संबंध में सलाह देने के लिए आयोग ने, केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और ऊर्जा क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है केन्द्रीय सलाहकार समिति की संरचना निम्नलिखित रूप में है :-

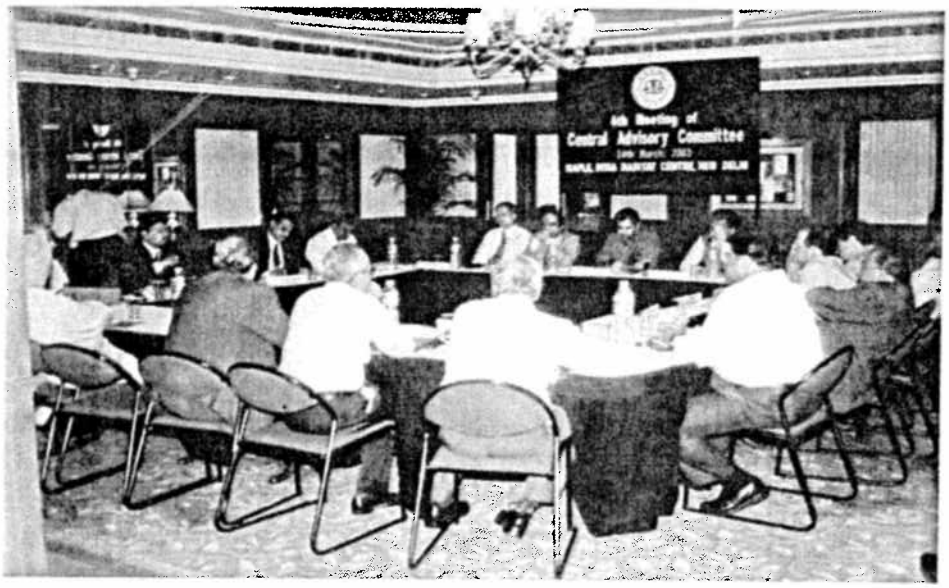

1. श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एन.एच.पी.सी, फरीदाबाद;
2. श्री सी.पी. जैन , अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एन.टी.पी.सी, नई दिल्ली;
3. श्री आर.पी. सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पी.जी.सी.आई.एल, नई दिल्ली;
4. डा. डी.वी.कपूर, अध्यक्ष, रिलायंस पावर लि., नई दिल्ली;
5. श्री एफ.ए. बंदरेवाला, प्रबंध निदेशक, टाटा पावर कंपनी लि., मुम्बई;

6. श्री वी. रघुरमन, वरिष्ठ सलाहकार (ऊर्जा), सीटू गुडगांव;
7. डा. अमित मित्रा, महासचिव, फिक्की, नई दिल्ली;
8. श्री जय प्रकाश गौड़, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जय प्रकाश इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली;
9. श्री रवि मोहन, प्रबंध निदेशक, सी.आर.आई.एस.आई.एल., मुम्बई;
10. श्री पी.पी. वोरा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आई.डी.बी.आई, मुम्बई;
11. श्री के. रामनाथन, वरिष्ठ ज्येष्ठ अध्येता, टी.ई.आर.आई, नई दिल्ली;
12. श्री सुमन कुमार बेरी, महानिदेशक एन.सी.ए.ई.आर, नई दिल्ली;
13. श्री टी.एल. शंकर, सलाहकार, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद;
14. प्रोफेसर बादल मुखर्जी, दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स, दिल्ली;
15. श्री वी. रंगनाथन, आई.आई.एम, बंगलौर;
16. श्री दीपक पारिख, अध्यक्ष एच.एफ.डी.सी, मुम्बई;
17. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य (इलेक्ट्रिकल), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली;
18. श्री के. गननदेसिकन, अध्यक्ष टी.एन.ई.वी., चेन्नई;
19. श्री डी.सी. सामंत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आर.आर.वी.पी.एन.एल, जयपुर;
20. श्री गिरीश संत, प्रयास, पुणे;
21. श्री के.सी. नायकवाडी, अध्यक्ष, आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, बंगलौर;
22. श्री अनिल डी. अम्बानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिलायंस ऊर्जा लि., मुम्बई;
23. श्री संजय मित्रा, अध्यक्ष, डब्ल्यू.बी.एस.ई.वी., कोलकाता;
24. श्री नसीर मुन्जी, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आई.डी.एफ.सी, मुम्बई;

केंद्रीय सलाहकार समिति की चौथी बैठक 24 मार्च, 2003 को हुई थी जिसमें आयोग के क्रियाकलापों का ब्यौरा सदस्यों को दिया गया था और आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों की कार्यसूची पर सलाह मांगी गई थी ।

विदेशी सरकारों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन/द्विपक्षीय करार

- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) तथा मेसाचुसेटफस डिपार्टमेंट आफ टेलिकम्यूनिकेशन्स एंड एनर्जी (एम.डी.टी.ई.) के बीच समझौता-ज्ञापन;

- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और यू.एस. एनर्जी एसोसिएशन (यू.एस.ई.ए.) के बीच समझौता-ज्ञापन; और
- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और फेडरल इलैक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन (एफ.ई. आर.सी.) के बीच समझौता-ज्ञापन ।

सी.ई.आर.सी., एम.डी.टी.ई. और एफ.ई.आर.सी. इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम (आई.ई.पी.पी.) में भागीदार बनने पर सहमत हो गए हैं । यू.एस.ई.ए. ने यू.एस.ए. आई.डी. आफिस आफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड टेक्नालाजी के साथ एक सहकारी करार किया है जिसके अनुसार, यू.एस.ई.ए. इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम (आई.ई.पी.पी.) आयोजित करने और उसे क्रियान्वित करने पर सहमत हो गया है । इंडियन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम एफ.ई.आर.सी. और सी.ई.आर.सी. तथा एम.डी.टी.ई. और सी. ई.आर.सी के बीच सूचनाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान के आपसी महत्व को समझता है । आई.ई.पी. पी को एफ.ई.आर.सी और सी.ई.आर.सी. तथा एम.डी.टी.ई. और सी.ई.आर.सी. में अनुभवों और सूचनाओं को प्रभावी और कुशल तरीके से आपसी आदान-प्रदान करने तथा भागीदारों के बीच दीर्घकालिक स्थायी संबंध दृढ़ बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है । इसमें विनियामक प्रवालनों और प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं जैसे प्रबंध, पुर्नगठन, वित्त और लेखाकंन, स्वतंत्र विद्युत विपणन, ग्राहक सेवा, बिजली का थोक संव्यवहार, दूर-संचार, नीतिगत योजनाएं और सुविज्ञता प्राप्त अन्य आवश्यक क्षेत्रों से संबंधित पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है ।

वर्ष के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं:

सारणी-3

अधिसूचनाएं

आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई:

क्र. स.	अधिसूचना संख्या और तारीख	विषय
1.	88, तारीख 23.4.2002	आयोग द्वारा टैरिफ के अंतिम अवधारण के पश्चात् समायोजन के अधीन रहते हुए, 31.3.2002 के बाद अंनतिम आधार पर 3 मास, अर्थात 30.6.2002 तक की अवधि के लिए टैरिफ प्रभारों की बिलिंग का विस्तारण ।
2.	140, तारीख 11.7.2002	के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2002

3.	147, तारीख 18.7.2002	के.वि.वि.आ. (कर्मचारिवृंद की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) विनियम, 2002
4.	150, तारीख 1.8.2002	आयोग द्वारा टैरिफ के अंतिम अवधारण के पश्चात् समायोजन के अधीन रहते हुए, 30.6.2002 के बाद अनंतिम आधार पर 2 मास, अर्थात् 30.9.2002 तक की अवधि के लिए टैरिफ प्रभारों की बिलिंग का विस्तारण ।
5.	237, तारीख 29.10.2002	के.वि.वि.आ. (चिकित्सा सुविधा) (पहला संशोधन) विनियम, 2002
6.	238, तारीख 29.10.2002	आयोग द्वारा टैरिफ के अंतिम अवधारण के पश्चात् समायोजन के अधीन रहते हुए, 30.9.2002 के बाद अनंतिम आधार पर 3 मास, अर्थात् 31.3.2003 तक की अवधि के लिए टैरिफ प्रभारों की बिलिंग का विस्तारण ।
7.	255, तारीख 10.12.2002	के.वि.वि.आ. (कारबार संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2002
8.	20, तारीख 25.2.2003	केंद्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) का पुनर्गठन

उपरोक्त अधिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुई ।

संगोष्ठी/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण/आदान-प्रदान कार्यक्रम:

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारिवृंद द्वारा, जिन संगोष्ठियों/सम्मेलनों/ प्रशिक्षण/ संयंत्र दौरा/आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लिया गया, उनका ब्यौरा उपाबंध-3 और उपाबंध-4 में दिया गया है ।

वार्षिक लेखा विवरण

व्यय:

वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान, आयोग को 457.20 लाख रुपए की बजट संबंधी सहायता प्रदान की गई थी जिसके प्रतिकूल उपगत व्यय 393.04 लाख रुपए था । विनियोग की प्रत्येक प्रारंभिक यूनिट के मद्दे व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

सारणी-4

(रूपए लाख में)

विनियोग की यूनिट	बजट अनुमान 2002–03	संशोधित अनुमान 2002–03	वास्तविक व्यय
वेतन	112.20	110.00	96.08
घरेलू यात्रा व्यय	15.00	10.00	5.35
विदेशी यात्रा व्यय	10.00	15.00	12.00
कार्यालय व्यय	80.00	50.00	34.30
वृत्तिक सेवाएं	60.00	40.00	शून्य
किराया, दरें और कर	170.00	240.00	244.31
अन्य प्रभार	10.00	10.00	1.00
योग	457.20	465.00	393.04

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि व्यय का मुख्य भाग, वेतन के बाद किराया, दरें और कर का है । आयोग ने आंबटित बजट के भीतर व्यय को खर्च करने का प्रयास किया है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कड़े आर्थिक उपायों को लागू करके आयोग ने 64.16 लाख रुपए की बचत की और उसे अग्रिम में बजट प्रभाग, ऊर्जा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया जिससे कि उसका उपयोग अन्य आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर किया जा सके ।

वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप

वर्ष के दौरान, आयोग को 86 नई याचिकाएं प्राप्त हुई थी और 177 याचिकाएं पिछले वर्ष से लंबित थी । वर्ष के दौरान 263 याचिकाओं में से, 104 याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया था । आयोग के प्रमुख क्रियाकलापों के संबंध में, संक्षिप्त रूप से नीचे चर्चा की गई है । आयोग द्वारा निपटाई गई याचिकाओं का ब्यौरा उपाबंध-5 में उपदर्शित है ।

थर्मल

1. आयोग ने, विद्यमान ऊर्जा संयंत्रों, अर्थात् एस.टी.पी.एस दादरी, फरक्का एस.टी.पी.एस गंधार जी,. पी.एस., कवास जी.पी.एस., कहलगांव एस.टी.पी.एस. और तलवर एस.टी.पी.एस, के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण और एफईआरवी के कारण भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपनी-अपनी परियोजना की विधिमान्यता अवधि के लिए पुनरीक्षित नियत प्रभार (आर.एफ.सी.) के अनुमोदन के लिए अंतिम आदेश जारी किया । आयोग ने, 7 में से 4 विद्यमान संयंत्रों के लिए टैरिफ का अनुमोदन करने हेतु 4 याचिकाओं की सुनवाई भी समाप्त की जिनमें आयोग ने, नियत पुनरीक्षित प्रभार अवधारित किया और कुछ में स्पष्टीकरण भी मांगे हैं जिसमें आदेश बाद में जारी किए जाने हैं । कहलगांव एसटीपीएस की एक याचिका को आस्थगित कर दिया गया है, क्योंकि पुनरीक्षित लागत अनुमोदन मांगा गया है ।

2. आयोग ने, इसके विद्यमान ऊर्जा संयंत्रों, अर्थात् रामागुडंम एस.टी.पी.एस., रिहंद एस. टी. पी. एस, सिंगरौली एस.टी.पी.एस., कोरबा एस.टी.पी.एस., विध्यांचल एस.टी.पी.एस., एफ.जी. यू.टी.पी. पी, प्रक्रम-1, अंता.जी.पी.एस. और औरैया जी.पी.एस. के लिए तारीख 31-3-2001 की भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपने-अपने परियोजना की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति की तारीख से टैरिफ के अनुमोदन के लिए एन.टी.पी.सी. की 8 याचिकाओं में अंतिम आदेश जारी किए । आयोग ने तत्पश्चात्, उपरोक्त मामलों में 8 पुनरीक्षित याचिकाओं की सुनवाई भी पूरी की ।

3. आयोग ने सिंगरौली एस.टी.पी.एस. और रिहंद एस.टी.पी.एस. में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर विद्यमान ऊर्जा संयंत्रों के लिए 1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए टैरिफ का अनुमोदन करने हेतु, 15 याचिकाओं में पुनः सुनवाई की तथा इनमें आदेश बाद में जारी किए जाने हैं क्योंकि ईंधन कीमत संबंधी मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण और विनिश्चय मांगे गए हैं । 5 याचिकाओं में 31.3.2001 तक टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ का अवधारण करने के तत्पश्चात् ही आदेश पारित किए जा सकते हैं ।

4. आयोग ने, 31.3.2001 की पूर्व टैरिफ अवधि और 1.4.2001 से 31.3.2004 की टैरिफ अवधि के लिए एन.टी.पी.सी. की नई परियोजनाओं, अर्थात् फरीदाबाद जी.पी.एस, कायमकुलम सी.सी.जी.टी संयंत्र, विंध्यांचल एस.टी.पी.एस. प्रक्रम-2 और एफ.जी.यू.टी.पी.पी. प्रक्रम-2 के टैरिफ के अनुमोदन के लिए 6 टैरिफ याचिकाओं की पुनः सुनवाई की । आयोग ने, एन.टी.पी.सी. की सिम्हाद्रि टी.पी.एस. और एन.एल.सी. के टी.पी.एस. (विस्तारण) के लिए याचिका की सुनवाई भी की और इन्फर्म ऊर्जा के प्रदाय के लिए अंनतिम टैरिफ आदेश जारी किए ।

5. आयोग ने, 50 मेगावाट या उससे कम की क्षमता रेंज वाले लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा संयंत्र के प्रचालन संबंधी सनियमों पर स्वप्रेरणा याचिका सं. 56/2002 के रूप में परिचालित स्टाफ पेपर पर विचार-विमर्श किया और विभिन्न मुद्दों पर अनेक पणधारियों और संबद्ध पक्षकारों को सुना। आयोग ने, पारदर्शी सुनवाई की प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्, 25.9.2002 को अंतिम आदेश जारी किया जिसमें लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रचालन संबंधी संनियमों को अंतिम रूप दिया । इन प्रचालन संबंधी संनियमों को अंतिम रूप देने के तत्पश्चात् इन्हें अधिसूचना के लिए भेज दिया गया है ।

6. आयोग ने, निपको की दो गैस ऊर्जा परियोजनाओं, अर्थात् असम सीसीजीटी संयंत्र और अगरतला टीपीएस के लिए उपरोक्त अधिसूचना को जारी करने के पूर्व, टैरिफ अवधि के लिए अंतिम रूप से दो याचिकाओं की सुनवाई की और निपको को इस निर्देश के साथ अंनतिम टैरिफ प्रदान किया गया कि वह 31.3.2004 की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से टैरिफ अवधि के लिए नई टैरिफ याचिका फाइल करें ।

7. आयोग ने, गंधार जी.पी.एस. और कवास जी.पी.एस. के प्रोत्साहन पर, एन.टी.पी.सी. की याचिका पर कार्रवाई की और अंतिम आदेश जारी किए । तत्पश्चात् आयोग ने, अपने अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए फाइल की गई पुनर्विलोकन याचिका की सुनवाई की । आयोग ने पश्चिमी क्षेत्र में ए.बी.टी. के कार्यान्वयन की दृष्टि से, एक पृथक् याचिका में कवास और गंधार

जी.पी.एस. के लिए लक्ष्य उपलब्धता की छूट चाहने वाली याचिका पर भी कार्रवाई की और लक्ष्य उपलब्धता में छूट देते हुए, अंतिम आदेश जारी किया ।

हाइड्रो

1. आयोग ने तारीख 26.3.2001 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित आयोग के टैरिफ के निबंधन और शर्तों पर आधारित 1.4.2001 से 31.3.2004 तक की टैरिफ अवधि के लिए एन.एच.पी.सी. की निम्नलिखित हाइड्रो परियोजनाओं के संबंध में, अंतिम आदेश जारी किए :

(i)	टनकपुर	(94.2 मेगावाट)
(ii)	सलाल (प्रक्रम 1 और 2)	(990 मेगावाट)
(iii)	चमेरा	(540 मेगावाट)
(iv)	उड़ी	(480 मेगावाट)
(v)	बैरास्यूल	(198 मेगावाट)
(vi)	लोकटक	(105 मेगावाट)

निपको की नई स्थापित रंगानदी जल विद्युत परियोजना (405 मेगावाट) के लिए अंनतिम टैरिफ आदेश जारी किए गए थे क्योंकि समय पर वितीय आंकड़े, परिवर्तनीय विश्लेषण और उपयोगिता पर लागत संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए जाने थे ।

2. निपको की कोपली एच.ई. स्कीम में, दो हाइड्रो केंद्र, अर्थात कोपली (250 मेगावाट) और खानडोंग (50 मेगावाट) समाविष्ट हैं । इनमें से प्रत्येक ऊर्जा केन्द्र में, पृथक् जलाशय से छोड़ा गया जल आता है और ये लगभग 12 कि.मी. दूर अवस्थित है । अब तक इन हाइड्रो ऊर्जा केन्द्रों के लिए मिश्रित टैरिफ लागू किया गया है जोकि उत्तर पूर्व क्षेत्र के संघटकों के बीच हुई सहमति पर आधारित है । तथापि, तारीख 26.3.2001 के आयोग के टैरिफ के निबंधन और शर्तों के खंड 1.4 के अनुसार, के.वि.वि.आ. विनियम के अधीन उत्पादन टैरिफ केन्द्रवार अवधारित किया जाएगा । इस प्रकार, निपको को यह निदेश दिया गया है कि वह वर्तमान टैरिफ अवधि के लिए कोपली और खानडोंग हेतु पृथक् याचिकाएं फाइल करें ।

3. **अभिकल्प ऊर्जा का पुनर्विलोकन** - आयोग के विनिर्दिष्ट निदेशों पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, एन.एच.पी.सी. और निपको के सभी प्रवालनात्मक हाइड्रो केन्द्रों की अभिकल्प ऊर्जा का पुनर्विलोकन करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है । प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी की जानी है जिससे कि पुनरीक्षित अभिकल्प ऊर्जा आंकड़ों का उपयोग 1.4.2004 से आरंभ होने वाले आगामी टैरिफ अवधि के दौरान टैरिफ प्रयोजनों के लिए किया जा सके ।

पारेषण

1. **आर.एल.डी.सी. प्रभारों पर आयोग के आदेश का पुनर्विलोकन:** आयोग ने, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा फाइल की गई याचिका सं० 109/2002 में, तारीख 22.3.2002 के अपने आदेश द्वारा फायदाग्राहियों द्वारा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को संदत्त की जाने वाली फीस और प्रभारों को अनुमोदित किया था । याचिकाकर्ता ने, आयोग द्वारा अनुमोदित फीस और प्रभारों के कतिपय मुद्दों पर निदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन याचिका सं. 84/2002 फाइल की थी । विषय-वस्तु पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात्, आयोग ने, अपने तारीख 8 मई, 2003 के आदेश द्वारा तारीख 22.3.2002 के आदेश में निम्नलिखित उपांतरणों को अनुमोदित किया ।

- वर्ष 2001-02 और उससे आगे के लिए, वर्ष 2000-01 के लिए स्वीकृत कर्मचारिवृंद की संख्या के अतिरिक्त, ए.बी.टी. के कार्यान्वयन की दृष्टि से कर्मचारियों की संख्या में 15% की वृद्धि को

अनुज्ञेय कर्मचारी लागत की संगणना के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया ।

- प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को आंबटित कारपोरेट कार्यालय खर्चों के अंश को 120.74 रुपए लाख से बढ़ाकर 213.01 लाख रुपए कर दिया गया । यह उस प्राक्कलन के कारण हुआ कि कारपोरेट केंद्र में 30 व्यक्तियों ने, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 17 व्यक्तियों के पूर्वानुमान के स्थान पर, आर.एल.डी.सी. से संबंधित कृत्यों का निष्पादन किया ।
- वर्ष 2001--02 और उससे आगे के लिए संचार व्यय और यात्रा व्ययों, जिन्हें 2000-01 के स्तर पर नियत कर रखा था, में अब वृद्धि कर दी गई है ।
- इससे पूर्व, आयोग ने एल.सी. के माध्यम के संदाय करने पर 2.5% और बिल प्रस्तुत करने के एक मास के भीतर संदाय करने पर 1% की रिबेट अनुमोदित की थी । पुनर्विलोकन आदेश में, आयोग ने कार्यकरण पूंजी, जिसमें एक मास का प्राप्य सम्मिलित है, के रूप में एल.सी. के माध्यम से संदाय करने पर केवल 1% की रिबेट अनुज्ञात की थी ।
- कर्मचारियों द्वारा प्रतिसंदत्त ऋणों पर ब्याज और कर्मचारियों से वसूले गए किराए की रकम को "अन्य आय" के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा ।
- यदि वास्तविक व्यय और आयोग द्वारा अनुमोदित आर.एल.डी.सी. प्रभारों के बीच अंतर ±5% की रेंज का है तो इसे आयोग के किसी संदर्भ के बिना, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र और फायदाग्राहियों के बीच तय किया जाएगा । तथापि, यदि अंतर ±5% के बाद का है तो आयोग के निर्णय के पश्चात् समायोजन किया जाएगा जिसके लिए याचिकाकर्ता न्यायोचित्य के साथ समुचित याचिका फाइल करेगा ।
- आयोग के तारीख 22.3.2002 के आदेश द्वारा अनुमोदित कुल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के प्रभारों और पुनर्विलोकन याचिका पर तारीख 8.5.2003 के आदेश के अनुसार, पुनरीक्षित कुल आर.एल.डी.सी. प्रभारों का सारांश निम्नानुसार है :-

वर्ष	आर.एल.डी.सी. प्रभार (रुपए लाख में) (तारीख 22.3.2002 के आदेश के अनुसार)	पुनरीक्षित आर.एल.डी.सी प्रभार (रुपए लाख में) (तारीख 8.5.2003 के आदेश के अनुसार)
2000 –01	2022.37	2152.40
2001 –02	2106.76	2452.07
2002 –03	2221.60	2615.53
2003 –04	2344.58	2790.46

2. प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के निदेशों का अनुनपालन और ग्रिड फ्रिक्वेंसी के रखरखाव से संबंधित याचिकाएं

आयोग ने प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के निदेशों का अननुपालन और ग्रिड फ्रिक्वेंसी के मुद्दों पर डब्ल्यू.आर.एल.डी.सी., एस.आर.एल.डी.सी. और ई.आर.एल.सी.डी. द्वारा फाइल की गई अनेक याचिकाओं की सुनवाई की ।

आयोग ने, डब्ल्यू.आर.एल.सी.डी. द्वारा फाइल की गई याचिका सं० 107/2002 में तारीख 28.01.2003 के अपने आदेश में आई.ई.जी.सी. के उपबंधों का पालन न करने तथा तारीख 24.8.2001 के आदेश में अंतर्विष्ट आयोग के निदेशों का अननुपालन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पर 1.0 लाख रुपए की नाममात्र की शास्ति लागू की । जी.ई.बी. और एम.ए.एस.ई.बी. को प्रथमदृष्ट्या ग्रिड अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाया गया था और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे । आयोग ने, तारीख 9.4.2003 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया था कि ग्रिड प्रबंधन के विषयों पर याचिकाकर्ता के साथ तत्पश्चात्, सहयोग करने की दृष्टि से, जी.ई.बी. और एम.एस.ई.बी. पर कोई शास्ति अधिरोपित न की जाए और याचिकाकर्ता से यह कहा कि वह संघटकों के कदाचार की मानिटरिंग करे और आई.ई.जी.सी., आर.एल.डी.सी. के अनुदेशों या आयोग के निदेशों के अतिक्रमण को आयोग की जानकारी में लाए ।

एस.आर.एल.डी.सी द्वारा फाइल की गई याचिका सं. 83/2001 का याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध करने के कारण निपटारा कर दिया गया था कि दक्षिणी क्षेत्र में ए.बी.टी. के कार्यान्वयन के पश्चात् फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल में सुधार किया जाएगा और सभी संघटक एस.आर.एल.डी.सी. को पूर्ण सहयोग देंगे ।

ई.आर.एल.डी.सी. द्वारा एक याचिका (81/2001) आयोग से यह अनुरोध करने के लिए फाइल की गई थी कि वह तारीख 17.8.2000 और 6.9.2001 के आयोग के आदेश का अतिक्रमण करने के लिए एन. टी.पी.सी. के कहलगांव एस.टी.पी.एस. (केएचएसटीपीएस) के विरूद्ध दांडिक कार्रवाई करने वाली विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 44 और धारा 45 का अवलंब ले । आयोग ने, तारीख 31.10.2002 के अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा तैयार की गई अनुसूची और ग्रिड फ्रिक्वेंसी के रखरखाव के मुद्दे पर उसको जारी किए गए निदेशों पर के.एच.एस.टी.पी.एस. ने कोई

ध्यान नहीं दिया । आयोग ने, यह स्वीकार किया कि के.एच.एस.टी.पी.एस. का ऐसा कार्य करना आयोग के तारीख 17.8.2000 और 6.9.2001 के आदेश का खुला अतिक्रमण है । आयोग इस बात से संतुष्ट था कि यह एक ऐसा उचित मामला था जहां धारा 47 के साथ पठित विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 45 का अवलंब लिया जाना चाहिए। तथापि, आयोग ने अन्य संघटकों द्वारा यदा-कदा किए जाने वाले अतिक्रमण और ए.बी.टी. के कार्यान्वयन के तत्पश्चात् महत्वपूर्ण सुधार की संभाव्यता को देखते हुए, शास्ति अधिरोपित करने से अपने को अवरुद्ध रखा । इस याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया गया था कि ई.आर.ई बोर्ड की बैठक में जो कि 21.11.2002 को हुई थी, पूर्वी क्षेत्र में ए.बी.टी. के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करें और ए.बी.टी. यथाशीघ्र संभव किंतु 1.1.2003 के अपश्चात्, पूर्वी क्षेत्र में आरंभ की जाए ।

ई.आर.एल.डी.सी. ने, एक दूसरी याचिका (सं. 78/2002) यह अनुरोध करते हुए फाइल की थी कि आयोग के निदेशों के अतिक्रमण के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 47 के साथ पठित धारा 44 और धारा 45 के अधीन ग्रिड कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड (ग्रिडको) के विरुद्ध कार्रवाई की जाए । ई.आर.एल.डी.सी. ने यह प्रतिवाद किया कि जब ऊर्जा आपूर्ति का विनियमन देयों के असंदाय के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा ग्रिडकों के विरुद्ध कार्यान्वित किया गया था तब ई.आर.एल.डी.सी. द्वारा तैयार निकासी की अनुसूची का ग्रिडको द्वारा पालन नहीं किया गया । दूसरी ओर, ग्रिडको का यह दावा था कि ग्रिडको के लिए ऊर्जा प्रदाय करने का विनियम विभेदकारी था और 23.3.2002 के बाद विनियम का विस्तार आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था । आयोग ने, तारीख 01.11.2002 के अपने आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के सुसंगत पैरा 2 में, "अभिवेद" पद विनियमित करने के लिए विभिन्न उपयोगिताओं से आर.एल.डी.सी. द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के प्रतिपादन से संबंधित है और यह ऐसी उपयोगिता की, जिनकी ऊर्जा विनियमित की जानी है, वयन की किसी रीति में विनियम के लिए अनुरोध करने वाली उपयोगिता के स्वनिर्णय पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। आयोग ने, यह भी अभिनिर्धारित किया कि ऊर्जा प्रदाय के विनियम की अवधि का विस्तारण आयोग द्वारा विहित सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता और इसलिए, विस्तारण आयोग के आदेश के निर्वचन में त्रुटि के कारण हुआ था । तथापि, आयोग का यह अभिमत था कि अनुसूची पर सहमत होते हुए, ग्रिडको विनियम की अवधि के अवैध विस्तारण के बहाने अधिक निकासी को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता । तथापि, ग्रिडको द्वारा की गई विनम्र क्षमा याचना को देखते हुए, कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी।

3. पारेषण अनुज्ञापन से संबंधित याचिकाएं

पावर ग्रिड ने आईजीटीसी/जेवी मार्ग के माध्यम से निर्धारित परियोजनाओं के लिए आयोग की टैरिफ अधिसूचना में यथा अनुबद्ध 1.5% के बजाय 2% ओ. एंड एम. व्यय के लिए एक याचिका फाइल की थी । याचिकाकर्ता ने जे.वी. मार्ग के माध्यम से की गई परियोजनाओं के लिए 10% पारेषण मेजोरेशन कारक (फैक्टर) को लागू करने के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा था । आयोग ने, तारीख 04.7.2003 के अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि पारेषण मेजोरेशन कारक इस कारण से आई.पी.टी.सी. मार्ग के माध्यम से निष्पादित परियोजनाओं को लागू नहीं होंगे कि बोली लगाने वाले अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए वर्षवार पारेषण प्रभार कोट करते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे ।

आयोग द्वारा तारीख 24.8.2001 को जारी की गई अधिसूचना का पैरा 10 यह अधिकथित करता है कि केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता ऐसे प्रस्तावों का मूल्याकंन और उनकी तुलना करेगा जहां कम से कम 3 वैध बोली उपलब्ध हो । यह और उपबंध करता है कि जहां कम से कम 3 वैध बोली उपलब्ध न हो वहां अंतिम वयन आयोग की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही किया जाएगा । पावर ग्रिड ने प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वीना-नागदा-देहगांव-पारेषण के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त एकमात्र बोली के मूल्यांकन के साथ-साथ आगे कार्रवाई करने के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक दूसरी याचिका (सं० 124/2002) फाइल की थी । आयोग ने, तारीख 20.01.2003 के अपने आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को यह अनुज्ञा दी थी कि वह प्राप्त एकल बोली का मूल्यांकन करने के साथ-साथ, आगे कार्रवाई करे और ऐसा विनिश्चय ले जो वह उचित समझे । तथापि, यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह मामला भविष्य में पूर्व निर्णय के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा ।

4. वर्ष 2002-03 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण आदेश

4.1 पूर्वी क्षेत्र में ए.बी.टी का कार्यान्वयन : ग्रिड कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने, पूर्वी क्षेत्र में ए.बी.टी के कार्यान्वयन के संबंध में, पुनर्विलोकन याचिका फाइल की । आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता, पुनर्विलोकन याचिका को वापस लेने की अनुज्ञा चाहता है । आयोग ने याचिकाकर्ता को ऐसा करने की अनुमति दे दी और पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया ।

4.2 **01.4.2000 से 31.3.2004 की अवधि के लिए तलचर टी.पी.एस के लिए टैरिफ** : एनटीपीसी ने तलचर टीपीएस (460 मेगावाट) के लिए एक याचिका फाइल की, जिसकी सुनवाई 24.1.2002 को हुई थी और तारीख 19.6.2002 के आदेश द्वारा 1.4.2000 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए टैरिफ अनुमोदित किया । याचिकाकर्ता (एनटीपीसी) और साथ ही प्रत्यर्थी (ग्रिड कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड) ने उपरोक्त उक्त आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अपने आवेदन फाइल किए । पुनर्विलोकन याचिका (सं० 92/2002 और 93/2002) में उन्होंने उक्त आदेश के विभिन्न पहलुओं का पुनर्विलोकन करने की मांग की थी । आयोन ने, निम्नलिखित मुद्दों पर पुनर्विलोकन अनुज्ञात किया था :-

- ऋण पर ब्याज की संगणना;
- ओ एंड एम प्रभारों की संगणना - जल प्रभारों या उसके किसी भाग पर तथा कामकाज पूंजी पर इसके पारिणामिक प्रभाव पर विचार;
- कार्यकरण पूंजी पर ब्याज - जोड़े गए परिवर्ती प्रभार द्वारा प्राप्य की संगणना और ऋण तथा ओ एंड एम प्रभारों पर ब्याज की संगणना करने संबंधी विनिश्चय पर विचार;
- आय पर कर - तारीख 26.3.2001 की अधिसूचना के पैरा 2.12 के अधीन "कोर" क्रियाकलाप का विस्तार और उसका निवर्चन; और
- सहायक ऊर्जा उपभोग - सहायक ऊर्जा उपभोग में कालोनी उपभोग को शामिल किया जाना या अन्यथा ।

आयोग ने अपने आदेश (तारीख 5.11.03) में यह उल्लेख किया कि "केवल उपरोक्त उल्लिखित मुद्दों पर ही विचार किया जाएगा जैसा कि किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना तारीख 19.6.2002 के आदेश में कारण के लिए पहले हुए विनिश्चय की सिर्फ पुनरावृत्ति होगी कि पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं था या तारीख 1.4.2003 के आदेश द्वारा पुनर्विलोकन अनुज्ञात नहीं किया गया था ।"

4.3 **टांडा टी.पी.एस. के टैरिफ का अवधारण** : एन.टी.पी.सी. ने, याचिका सं० 77/2001 में, टांडा टी. पी.एस को लागू टैरिफ के निबंधन और शर्तों का अवधारण और आयोग द्वारा इस प्रकार विनिश्चय किए गए निबंधनों और शर्तों पर आधारित टैरिफ का अवधारण करने की मांग की ।

एक दूसरी याचिका (सं० 91/2000) में, यू.पी.पी.सी.एल. ने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तारीख 30.3.1992 को जारी की गई अधिसूचना तथा तारीख 26.3.2001 की आयोग की अधिसूचना के आधार पर टांडा टी.पी.एस. के टैरिफ के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एनटीपीसी को मुख्यत: निदेश देने के लिए एक याचिका फाइल की थी । जैसा कि ये दोनों याचिकाएं समान तथ्यों पर आधारित थी इसलिए इनकी सुनवाई एक साथ की गई और एक ही आदेश के माध्यम से इनका निपटारा किया गया ।

याचिकाकर्ता ने 14.1.2000 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन की मांग की । उत्पादन कंपनी द्वारा ऊर्जा के विक्रय के निबंधनों और शर्तों को तारीख 30.3.1992 को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था । किन्तु आयोग को गठित करने के साथ ही टैरिफ विनियमित करने की शक्ति आयोग में निहित कर दी गई । आयोग ने 26.3.2001 को टैरिफ के निबंधनों और शर्तों को अधिसूचित किया जो 1.4.2001 से लागू थी। इस संबंध में, यूपीपीसीएल का यह तर्क है कि टांडा टी.पी.एस से ऊर्जा के विक्रय के लिए टैरिफ को 14.1.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिए तारीख 30.3.1992 की ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना के निबंधनों और तत्पश्चात्, तारीख 26-3-2001 की आयोग की अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार, विनियमित किया जाना चाहिए किन्तु याचिकाकर्ता ने इसके प्रतिकूल यह तर्क दिया था कि टांडा टी.पी.एस को लागू विशेष परिस्थितियों के कारण, ऊर्जा मंत्रालय और आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के निबंधन और शर्तों को इस परियोजना पर विस्तारित नहीं किया जा सकेगा । इन्हें विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने से पूर्व, आयोग द्वारा पहले अवधारित किया जाए ।

आयोग ने, तारीख 7.1.2002 को हुई सुनवाई में इन प्रतिकूल मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और 'यह विनिश्चय किया गया था कि टैरिफ का अवधारण, जिसमें पूंजी आधार भी सम्मिलित है, करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले पैरामीटरों पर सिफारिशें और पर्याप्त विनिश्चय करने हेतु सभी पहलुओं की समीक्षा आयोग के एक सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, श्री के.एन. सिन्हा को नामनिर्दिष्ट किया गया था । तारीख 22.2.2002 को अपने आदेश में विशेष न्यायपीठ ने सिफारिशें की जिसमें उनका यह कहना था कि ऊर्जा मंत्रालय और आयोग द्वारा यथा अधिसूचित टैरिफ का अवधारण करने वाले संनियम टांडा टी.पी.

एस. को लागू नहीं हो सकेंगे ।

4.4 **लघु आकार के गैस आधारित थर्मल केन्द्रों के लिए प्रचालन संबंधी संनियम** : लघु गैस आधारित थर्मल केन्द्रों के संबंध में, प्रचालन संबंधी संनियमों के अनुमोदन के लिए इस विषय पर निपको द्वारा एक याचिका फाइल की गई थी । इस संबंध में, आयोग पहले ही सुनवाई कर चुका था और 50 मेगावाट तक की क्षमता वाले लघु गैस आधारित थर्मल स्टेशनों के लिए प्रचालन संबंधी संनियमों को (तारीख 25.9.2002 के आदेश द्वारा) अनुमोदित किया । इसलिए, आयोग ने याचिका का निपटारा कर दिया ।

4.5 **प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विनियम** : उत्पादन और पारेषण सेवाओं की प्रतिस्पर्धा की अधिप्राप्ति पर स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने हेतु अभिव्यक्ति के अधिकार को आयोग में तब आरंभ किया गया जब सितंबर, 1999 के दौरान इसका पहला "थोक विद्युत टैरिफ संबंधी परामर्शी लेख" प्रकाशित हुआ । यह विनिश्चय किया गया कि अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के साथ पठित धारा 13 के खंड (घ) के अधीन इसकी भूमिका का निर्वहन करने में प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से व्यापक विनियम जारी किए जाएं ।

आयोग ने, प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विनियमों को बनाने में सहायता करने के लिए मैसर्स प्राइसवाटर-हाउस कूपर्स को परामर्शक के रूप में नियुक्त किया । परामर्शक ने, "बोली प्रक्रिया और परीक्षण, न्यूनतम शर्तें तथा मानदंड विनिर्दिष्ट करने संबंधी सिफारिशों के बारे में रिपोर्ट" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है जिस पर 7.11.2000 को नई दिल्ली में विचार-विमर्श किया गया था । तत्पश्चात् पराशर्मक ने प्रतिस्पर्धा बोली संबंधी विनियमों के प्रारूप का एक दस्तावेज तैयार किया और उसे जुलाई 2001 में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया । इसके तत्पश्चात्, आयोग ने प्रतिस्पर्धा बोली संबंधी विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए स्वप्रेरणा कार्यवाही आरंभ की । परामर्शक द्वारा तैयार किए गए प्रारूप दस्तावेज को उक्त याचिका (याचिका सं० 54/2001) की विषय-वस्तु बनाकर विद्युत क्षेत्र के पणधारियों के विचार के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया । आयोग में याचिका पर 27.9.2001 को सुनवाई हुई थी और पी.डब्ल्यू.सी. ने आम सुनवाई के दौरान हुए विचार-विमर्श को प्रलेखित किया ।

17 पक्षकारों ने परिचालित प्रारूप दस्तावेज का प्रत्युत्तर दिया और कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित कतिपय प्रारंभिक मुद्दे उद्भूत हुए:

- अधिकारिता संबंधी मुद्दे;
- अर्हित परियोजना की परिभाषा ;
- उप्पादन परियोजनाओं के लिए अधिप्राप्ति की पद्धति ;
- बौंचमार्क कीमत;
- पी.पी.ए. के निबंधन;
- विदेशी मुद्रा सूचकांक का प्रतिपादन;
- राज्य आयोगों की भूमिका; और
- न्यूनतम शर्तें ।

पणधारियों के सुझावों के आधार पर, विनियमों के संबंध में, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था:

- प्रतिस्पर्धा की जांच;
- टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका;
- कार्यवाही करने की समय-सारणी;
- सर्वोतम कार्य पद्धति मार्गदर्शक सिद्धांत ;
- बोली का खोला जाना और उसका मूल्यांकन ;
- तकनीकी मूल्यांकन मानदंड;
- हाइड्रो ऊर्जा परियोजना संबंधी विनिर्दिष्ट मुद्दे ;
- थर्मल ऊर्जा संबंधी विनिर्दिष्ट मुद्दे तथा उपलब्ध प्रोत्साहन; और
- पारेषण सेवा संबंधी विनिर्दिष्ट मुद्दे ।

4.6 **ऊर्जा विपणन और व्यापारिक क्रियाकलाप आरंभ करने संबंधी अनुमोदन की मंजूरी:** कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोयला इनर्जी रिसोर्स प्रा. लि. (के.ई.आर.पी.एल.) ने ग्रिडको और डब्ल्यू बी.पी.डी.सी.एल. की ओर से ऊर्जा का और विशिष्टतया पी.एस.ई.बी. जैसी कोई क्रय उपयोगिता को उपलब्ध अधिशेष विद्युत का

विपणन करने के लिए समुचित अनुमोदन/समाशोधन का अनुरोध करते हुए एक याचिका फाइल की ।

आयोग ने इस याचिका पर विचार किया और स्पष्ट किया कि अंतर-राज्यिक पारेषण (अर्थात् व्यापार) के निबंधन और शर्तें अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है । यह आदेश {तारीख 24.11.1999 की अधिसूचना सं० 7,2(5)/099-सी.ई.आर.सी.} दिया कि इस समय तक "इस शर्त के अधीन रहते हुए कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का अधिनियम संख्यांक 9), विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 54) के उपबंधों या प्रवृत्त कोई अन्य विधि या शासकीय आदेश का ऐसे संव्यवहारों से पूर्व अनुपालन किया जाएगा जिन्होंने ऊर्जा का अंतर-राज्यीय पारेषण का करार किया हो, ऐसे संव्यवहारों के लिए आयोग से कोई विनिर्दिष्ट अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।"

4.7 **कवास और गंधार जीपीएस के लिए प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन** : इस संबंध में, वर्ष 1992-93 से 1997-98 हेतु कवास जीपीएस और वर्ष 1994-95 से 2000-01 हेतु गंधार जी.पी.एस. के लिए संदेय प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा एक याचिका फाइल की गई थी । कवास जी.पी.एस. को आरंभिक रूप से 30.4.1994 को अधिसूचित किया गया था और इसके तत्पश्चात्, तारीख 19.6.1995 और तारीख 14.5.1999 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था । गंधार जी.पी.एस. की दशा में, ऊर्जा प्रदाय के निबंधन और शर्तों को 24.4.1997 को अधिसूचित किया गया था और इसे तारीख 14.5.1999 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था । ये अधिसूचनाएं इन केंद्रों से ऊर्जा लेने वालों को/द्वारा या फायदाग्राहियों द्वारा/को प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन का संदाय करने के लिए उपबंध करती हैं इन अधिसूचनाओं के अनुसार,

- जहां किसी वित्तीय वर्ष में प्रादेशिक विद्युत बोर्ड (आर.ई.बी.) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा यथा प्रमाणित किलोवाट प्रति घंटा/किलोवाट/वर्ष में वास्तविक उत्पादन स्तर (ए.जी.एन.) किलोवाट प्रतिघंटा/किलोवाट/वर्ष में प्रचालन रेंज की मानकीय उच्चतर सीमा से अधिक है वहां याचिकाकर्ता प्रोत्साहन का हकदार होगा; और

- जहां किलोवाट प्रति घंटा/ किलोवाट/ वर्ष में वास्तविक उत्पादन स्तर याचिकाकर्ता द्वारा माने जा सकने वाले कारणों के लिए किलोवाट प्रति घंटा/किलोवाट/वर्ष में प्रचालन रेंज की मानकीय न्यूनतम सीमा से कम आता है वहां वह केंद्रों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे फायदाग्राहियों को गैर-प्रोत्साहन का संदाय करने का दायी हो सकेगा ।

जैसा इन विनियमों में उपबंधित है, प्रोत्साहन/ गैर-प्रोत्साहन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त वास्तविक उत्पादन स्तर पर, जिसमें प्रणाली मांग में कमी के कारण प्रादेशिक विद्युत बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा प्रमाणित याचिकाकर्ता द्वारा मानी न जा सकने वाली अन्य शर्तों के कारण बौंकिग डाउन भी सम्मिलित है, "समझ गए उत्पादन" के रूप में विचार किया जाता है ।

तथापि, केन्द्रीय उत्पादन केंद्रों के लिए 15.5.1999 से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 54) की धारा 43क(2) के लोप के कारण, प्रोत्साहन/ गैर -प्रोत्साहन के अवधारण के लिए आयोग के समक्ष एक याचिका फाइल की गई थी ।

प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन के मुद्दों पर, लंबे समय तक ब्यौरेवार विचार-विमर्श और विश्लेषण करने के पश्चात्, आयोग ने यह निदेश दिया कि याचिकाकर्ता निम्नानुसार प्रोत्साहन/ गैर-प्रोत्साहन का दायी है :

वर्ष	कवास जी.पी.एस	गंधार जी.पी.एस.
1993–94	(–)16.13	–
1994–95	(–)41.51	0.00
1995–96	(–)58.29	(–)18.61
1996–97	(–)13.92	(–) 11.99
1997–98	1.29	0.00
1998–99	आयोग द्वारा प्रोत्साहन पहले ही अनुज्ञात किया गया है	(–)92.99
1999–00	–यथोक्त–	(–)71.46
2000–2001	–यथोक्त–	(–)48.72
योग	(–)128.56	(–)243.77

यह उल्लेख किया गया था कि "आयोग द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन को, फायदाग्राहियों द्वारा प्राप्त की जा रही ऊर्जा के अनुपात में क्रमिक वर्ष में बांटा जाएगा और बकाया देयों के लिए समायोजित किया जाएगा । दूसरे शब्दों में, यदि किसी भी प्रत्यर्थी के प्रति देय बकाया हों तो याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा अनुमोदित गैर-प्रोत्साहन को उन देयों के प्रति समायोजित करने की स्वतंत्रता होगी ।"

5. **ए.बी.टी. का कार्यान्वयन** :

उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के मुद्दे पर, आयोग ने 1999 में स्वप्रेरणा याचिका पर कार्रवाई की और सुनवाई की प्रक्रिया के पश्चात् 4 जनवरी, 2000 को एक विस्तृत आदेश जारी किया । इसके साथ-साथ, विभिन्न क्षेत्रों में ए.बी.टी. के कार्यान्वयन का आदेश दिया गया था और दक्षिणी क्षेत्र में इसे 1.4.2000 से आरंभ करने का आदेश दिया गया । तथापि, आयोग के समक्ष फाइल की गई पुनर्विलोकन याचिका और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील करने के कारण इसको कार्यान्वित करने में विलंब हुआ । आयोग ने, पुनर्विलोकन याचिकाओं के आधार पर, अपने आदेश का पुनर्विलोकन किया और दिसंबर, 2000 में आदेश जारी किए। आयोग की पुनर्विलोकन याचिकाओं के विरुद्ध अपीलें की गई थी और जिन पर मार्च, 2001 में माननीय दिल्ली उच्च-न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए थे । तत्पश्चात्, अक्तूबर, 2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन आदेशों को रद्द कर दिया गया था । इसके पश्चात्, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में ए.बी.टी को कार्यान्वित करने का आदेश दिया ।

पश्चिमी क्षेत्रों में, ए.बी.टी. को 1 जुलाई, 2002 से कार्यान्वित किया गया था । यहां कुछ ऐसी प्रारंभिक कठिनाईयां थी जिन्हें दूर कर लिया गया था । यू.आई. संदायों का संग्रहण और संवितरण किया गया था । इस ध्वल को विभिन्न पणधारी अच्छी तरह समझ गए थे । आयोग ने निरंतर सभी उपयोगिताओं द्वारा किए गए ग्रिड अनुशासन की मानीटरिंग की । संबद्ध अभिकरणों द्वारा किए गए इन सभी प्रयासों से पश्चिमी क्षेत्र की ग्रिड फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल में सुधार हुआ था ।

पश्चिमी क्षेत्र में ए.बी.टी. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात्, आयोग ने इसको कार्यान्वित करने के लिए अन्य क्षेत्रों पर दबाव बनाना आरंभ किया । ए.बी.टी. के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए

विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड अनुशासनहीनता से निपटते समय आवश्यक आदेश जारी किए गए थे । उत्तरी क्षेत्र, 1 दिसंबर, 2002 से एबीटी प्रारंभ करने के लिए दूसरा क्षेत्र हो गया था । इसी बीच, दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित ग्रिड मुद्दों की सुनवाई भी आयोग में हुई थी जिसमें ग्रिड में दक्षिणी क्षेत्र के साझेदारों पर भी ए.बी.टी. के कार्यान्वयन के लिए दबाव डाला गया था जिसे अंतिम रूप से 1 जनवरी, 2003 को किया गया था । 1 अप्रैल, 2003 से पूर्वी क्षेत्र में ए.बी.टी. के कार्यान्वयन के लिए आयोग द्वारा वैसी ही कार्रवाई की गई थी । यह उल्लेख करना उचित होगा कि ए.बी.टी. को शुरू करने के पश्चात् दक्षिणी क्षेत्र में फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल में सुधार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । ए.बी.टी. को कार्यान्वित किए जाने से पूर्व, दक्षिणी क्षेत्र में फ्रिक्वेंसी लगभग 48 एच ज्येड के आस-पास थी और ग्रिड का हमेशा पृथक् रूप से दो बार उपयोग किया जाता और ग्रिड भी फेल हो जाता था । दक्षिणी क्षेत्र में, ए.बी.टी. के कार्यान्वयन के पश्चात्, फ्रिक्वेंसी नवंबर, 2002 के दौरान लगभग 80% और अगस्त, 2002 के दौरान लगभग 31% की तुलना में 99% से अधिक समय के लिए 49 से 50.5 एच.ज्येड की आई.ई.जी.सी रेंज के अंतर्गत है ।

पूर्वी क्षेत्र उच्च फ्रिक्वेंसी समस्या का सामना कर रहा है । फ्रिक्वेंसी 52 एच ज्येड तक हो गई थी। उच्च फ्रिक्वेंसी पर ग्रिड में विद्युत की पम्पिंग करने से अनावश्यक रूप से ईंधन की अधिक खपत होती थी । इसे अब आई.ई.जी.सी. रेंज के भीतर फ्रिक्वेंसी स्तर के लिए मुख्य रूप से नियंत्रित कर लिया गया है । इससे ईंधन की खपत में कमी आई है और साथ ही प्रदूषण स्तर में भी कमी हुई है ।

ए.बी.टी. की शुरूआत एक प्रकार से विद्युत में व्यापार करने की तैयारी थी । यू.आई दर व्यापार, क्रियाकलाप के लिए बैंचमार्क कीमत के रूप में कार्य करती है, ऐसे फायदाग्राही, जो विभिन्न कारणों से ऊर्जा के लिए अपेक्षित नहीं है, विभिन्न व्यापारियों के माध्यम से द्विपक्षीय-व्यापार या व्यापार करते हैं । आयोग ने विद्युत में व्यापार करने हेतु व्यापारियों को समर्थ बनाने के लिए 1999 में एक अधिसूचना भी जारी की थी ।

अब तक, ए.बी.टी. के परिणाम यह सुस्थापित करते हैं कि पणधारी ऐसे यू.आई. प्रभार, जिनका वे संदाय करते हैं, की तुलना में केंद्रीय विद्युत ऊर्जा केन्द्रों से विद्युत लेने की कोशिश करते हैं । कुछ अपवादों को छोड़कर, यह उल्लेख करना संतोषजनक है कि यू.आई संव्यवहार समय पर

पूरे किये जाते हैं । ग्रिड में साझेदारों के बीच यह जागरूकता ग्रिड के प्रचालन संबंधी अनुपालन में एक अच्छा विचार है और आयोग द्वारा कार्य-निष्पादन को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है ।

6. **विद्युत अधिनियम,** 2003 (2003 **का अधिनियम संख्यांक** 36):

आयोग ने विद्युत मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया है और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) के संबंध में अपने अभिमत व्यक्त कर दिए हैं ।

वर्ष 2003–04 के लिए कार्यसूची

वर्ष, 2003-04 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की निम्नलिखित कार्यसूची है:-

1. एनटीपीसी की विद्यमान पांच विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, भारत सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपने-अपने परियोजना की विधिमान्यता अवधि के अंत में 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए, अतिरिक्त पूंजीकरण और टैरिफ का अवधारण करना।

2. एनटीपीसी की विद्यमान और साथ ही साथ नई परियोजनाओं के लिए 01.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए टैरिफ का अवधारण करना ।

3. 31.3.2004 तक की टैरिफ अवधि के लिए निपको अगरतला गैस आधारित सिम्पल साईकिल परियोजना और गैस आधारित असम साईकिल परियोजना के लिए टैरिफ का अवधारण करना ।

4. एन.टी.पी.सी. परियोजना के लिए 2001–2002 और 2002–2003 तक की अवधि के लिए टैरिफ अवधारित करना ।

5. अगली टैरिफ अवधि, अर्थात् 2001–2004 से आगे के लिए प्रचालन संबंधी संनियमों का पुनर्विलोकन करने के बारे में, कार्रवाई आरंभ करना । इस कार्रवाई में प्रस्ताव पेपर तैयार करना, परामर्शदाताओं द्वारा विनिर्दिष्ट मुद्दों की समीक्षा करना, संबंधित पक्षकारों और विशेषज्ञों की राय मंगवाना और उन पर सुनवाई करना ।

6. टनकपुर, सलाल, चमेरा, और उड़ी एच.ई.पी. के संबंध में, एनएचपीसी द्वारा फाइल की गई चार पुनर्विलोकन याचिकाओं पर सुनवाई करना और उन पर आदेश जारी करना ।

7. निपको के रंगानदी (405 मेगावाट) और डोयांग (75 मेगावाट) हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए अंतिम टैरिफ आदेश जारी करना ।

8. एनएचपीसी/निपको के निम्नलिखित हाइड्रो ऊर्जा केंद्रों, जिनको वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है, के संबंध में सुनवाई करना और टैरिफ आदेश जारी करना :...

i)	चमेरा 2	(300 मेगावाट)	-एनएचपीसी
ii)	दुलहस्ती	(390 मेगावाट)	-एनएचपीसी

iii) नाफ्था झाकरी (1500 मेगावाट) -एसजेवीएनएल
iv) टिहरी (1000 मेगावाट) -टीएचडीसी

9. वर्तमान 3 वर्षीय टैरिफ अवधि 31.3.2004 को समाप्त होगी और नई टैरिफ अवधि 01.4.2004 से प्रारंभ होगी । यह संभावना है कि संनियमों में पणधारियों के अभिमत और उपयोगिताओं द्वारा फाइल की गई याचिकाओं के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा । इसके लिए, विभिन्न स्टोरेज/ आर.ओ.आर हाइड्रो केंद्रों से सुसंगत आंकड़ों का संग्रहण करना अपेक्षित होगा और आगामी टैरिफ अवधि में, इन संनियमों को लागू करने के लिए आयोग द्वारा की जाने वाली स्वप्रेरणा सुनवाई द्वारा अध्ययन आरंभ किया जाएगा । सभी ऐसे संकर्म अध्ययनों पर वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा ।

10. 01.4.2004 से लागू किए जाने वाले टैरिफ सिद्धांतों की विरचना करना ।

11. आई.ई.जी.सी का पुनर्विलोकन करना और इसके कार्यान्वयन की मानिटरिंग करना ।

12. जैसे ही विद्युत विधेयक, 2003 कानून का रूप ले लेता है वैसे ही खुली पहुंच पारेषण के लिए सिद्धांतों की विरचना करना ।

13. प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों पर कार्यान्वित एकीकृत भार प्रेषण स्कीम की प्रतिपूर्ति/टैरिफ के लिए सिद्धांतों की विरचना करना ।

14. उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में ए.बी.टी और यथा साध्यशीघ्र उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन की मानिटरिंग करना ।

15. प्रतिस्पर्धा बोली पर मई, 2002 में जारी किए गए आयोग के आदेश में अंतर्विष्ट निदेशों को सम्मिलित करने के लिए, पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी तारीख 24.10.2001 की आयोग की अधिसूचना का संशोधन करना ।

उपाबंध

उपाबंध-1

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का संगठन चार्ट

(31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार वृत्तिक कर्मचारिवृंद)

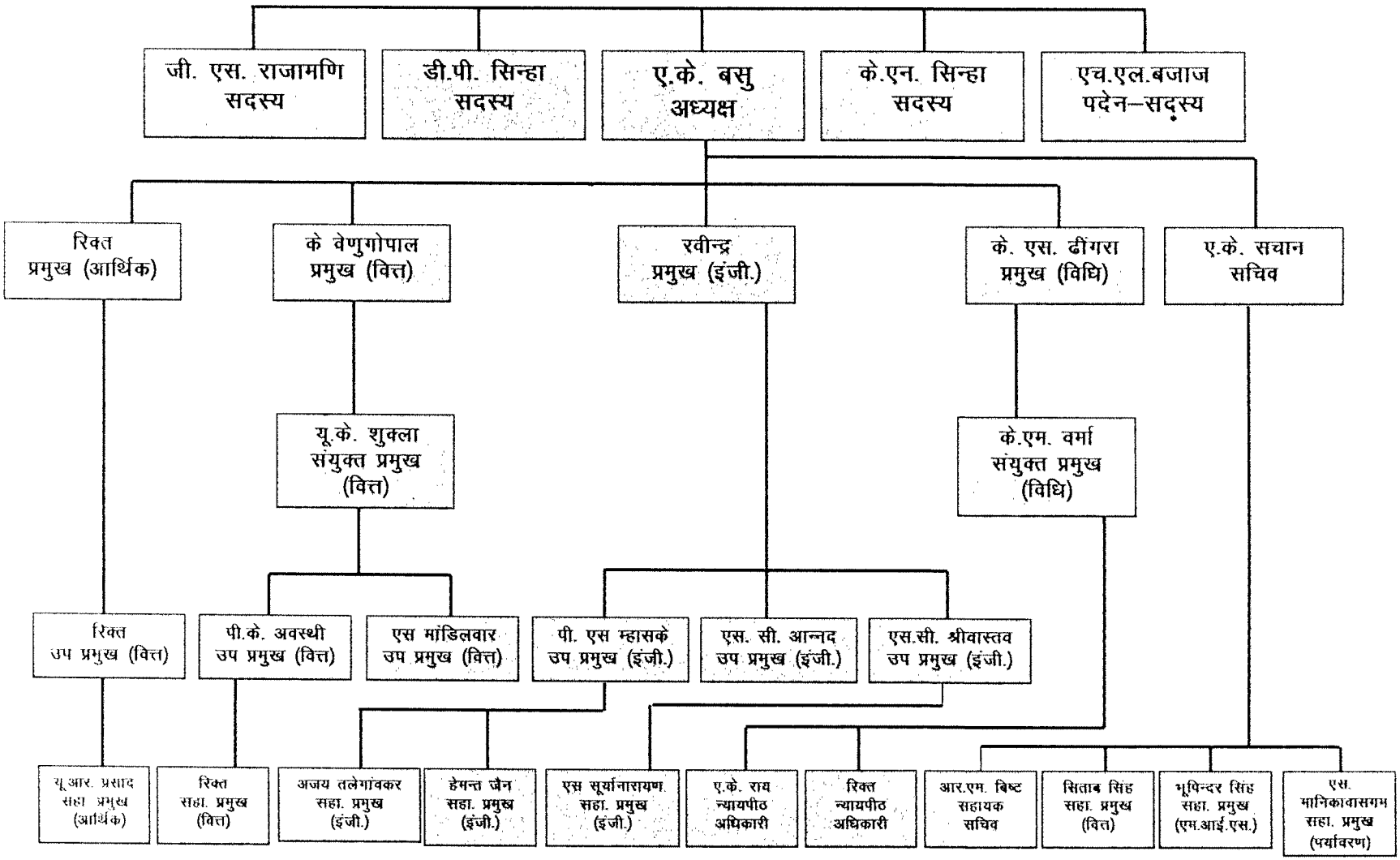

उपाबंध-2

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारिवृंद के ई-मेल आई डी और दूरभाष संख्या

पदनाम	नाम	दूरभाष संख्या	ई–मेल
अध्यक्ष	श्री ए.के. बसु	24360004	chairman @cercind.org
सदस्य	श्री जी.एस. राजामणि	24361235	gsr23@hotmail .com
सदस्य	श्री के.एन. सिन्हा	24361280	kns60@rediffmail.com
सदस्य	रिक्त	24361259	
पदेन–सदस्य	श्री एच.एल. बजाज	26102583	chairman@cea.nic.in
सचिव	श्री ए.के.सचान	24361051	ak_sachan@yahoo.com
प्रमुख (वित्त)	श्री के. वेणुगोपाल	24364898	venu_k_gopal@hotmail.com
प्रमुख (विधि)	श्री के.एस. ढींगरा	24363174	ks_dhingra@hotmail.com
प्रमुख (इंजी.)	श्री रवीन्द्र	24364960	ravinderveeksha@hotmail.com
प्रमुख (आर्थिक)	रिक्त		
संयुक्त प्रमुख (वित्त)	श्री यू.के. शुक्ला	24363395	ukshukla@cercind.org
संयुक्त प्रमुख (विधि)	श्री के.एम. वर्मा	24363327	k_m_varma@yahoo.com
उप प्रमुख (इंजी.)	श्री पी. एस.म्हासके	24364826	psmhaske@yahoo.com
उप प्रमुख (इंजी.)	श्री पी.सी आनंद	24364826	anandsca@hotmail.com
उप प्रमुख (इंजी.)	श्री एस.सी. श्रीवास्तव	24364895	scschandra@hotmail.com
उप प्रमुख (वित्त)	श्री पी.के. अवस्थी	24364895	awasthi_prbhat@yahoo.com
उप प्रमुख (वित्त)	श्री एस.मांडिलवार	24364895	anjiva_mandilwar@yahoo.com
उप प्रमुख	रिक्त (तीन पद)		
सहायक सचिव	श्री आर.एस. बिष्ट	24361145	bisht7@hotmail.com

सहायक प्रमुख (इंजी.)	श्री अजय तलेगांवकर	24364826	ajay_tal@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इंजी.	श्री हेमन्त जैन	24364826	hem_jain@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इंजी.	श्री एस. सूर्यनारायण	24364895	surya_928a@yahoo.com
सहायक प्रमुख (वित्त)	रिक्त (एक पद)		
सहायक प्रमुख (आर्थिक)	श्री यू.आर.प्रसाद	24363338	uppaluri123@rediffmail.com
सहायक प्रमुख (पर्यावरण)	श्री एस.मानिकावासगम	24364895	s_vasagam@yahoo.com
सहायक प्रमुख (एम. आई.एस)	श्री भूपिन्दर सिंह	24364895	vilkhu@hotmail.com
सहायक प्रमुख (लेखा)	श्री सिताब सिंह	24361145	sitabs_b@yahoo.com
न्यायपीठ अधिकारी	श्री ए.के. राय	24364911	akroy44@hotmail.com
न्यायपीठ अधिकारी	रिक्त (एक पद)		

उपाबंध-3

संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ आदान-प्रदान कार्यक्रमों, जिनमें भारत के बाहर आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/सचिव/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया

क्रम सं.	नाम और पदनाम	संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यक्रम	वह देश जिसका दौरा किया।
1.	श्री ए.के.बसु, अध्यक्ष श्री के.एन.सिन्हा, सदस्य श्री के. वेणुगोपाल, सचिव	सीईआरसी और एफईआरसी / एमडीटीई के बीच 8 जुलाई से 17 जुलाई, 2002 तक यूएसएआईटी इनर्जी / पार्टनरशिप प्रोग्राम	यू.एस.ए.
2.	श्री ए.के. बसु, अध्यक्ष श्री के.एस. ढींगरा प्रमुख (विधि)	"लीगल एसपेक्ट आफ रेगुलेशन इन साउथ एशिया" संबंधी एसएएफआईआर वर्कशाप, 3 और 4 अगस्त, 2002	बंगलादेश
3.	श्री ए.के. बसु, अध्यक्ष श्री जी.एस. राजामणि, सदस्य	यू.के. में गैस और विद्युत उद्योगों के लिए विनियामकों के साथ द्विपक्षीय अन्योयक्रिया, 2 से 6 दिसंबर, 2002 तक	यू.के.
4.	श्री ए.के.बसु, अध्यक्ष	एसएएफआईआर संचालन समिति की छठीं बैठक, 9 और 10 दिसंबर, 2002	श्री लंका
5.	श्री ए.के. बसु, अध्यक्ष श्री एस.सी. श्रीवास्तव, उप प्रमुख (इंजी.)	छठा वार्षिक एशिया ऊर्जा 2003 सम्मेलन, 8 से 10 फरवरी, 2003 तक	सिंगापुर

उपाबंध-4

ऐसे कार्यक्रम, जिनमें भारत में आयोग के कर्मचारिवृंदों ने भाग लिया

क्रम सं.	मेजबानी करने वाले संस्थान का नाम	कार्यक्रम का नाम और उसकी अवधि	भेजे गए अधिकारियों के पदनाम
1.	केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड (सीबीआईपी)	''वाटर फार ह्यूमन सर्वाइवल संबंधी आई.डब्लू.आर.ए. प्रादेशिक संगोष्ठी'' 27–30 नवम्बर, 2003	1. संयुक्त प्रमुख (वित्त) 2. उप प्रमुख (इंजी.)
2.	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (एनपीटीआई)	''फाइनेनसियल एनालेसिस आफ पावर प्रोजेक्ट'' संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार 27–28 दिसंबर, 2002	सहायक प्रमख (वित्त)
3.	कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	''ऊर्जा वितरण सुधारः मूविंग टूवर्डस एफीसियेंसी, बैटर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलाजी'' संबंधी सम्मेलन 7–8 फरवरी, 2003	1. प्रमुख (इंजी.) 2. उप प्रमुख (इंजी.)
4.	(क) पीजीसीआईएल का बल्लभगढ़ उपकेंद्र (ख) पावर मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा (ग) एनएचपीसी, फरीदाबाद (घ) पीजीसीआईएल, नई दिल्ली	सीपीएसयूज में सीईआरसी अधिकारियों के लिए फमिलिएरिएजशन एंड ओरिएंटेशन कार्यक्रम 18.1.2003 20.1.2003 22.1.2003 24.1.2003	1. सहायक प्रमुख (इंजी.) 2. सहायक प्रमुख (इंजी.) 3. सहायक प्रमुख (एमआईएस) 4. सहायक प्रमुख (आर्थिक) 5. सहायक प्रमुख (पर्यावरण) 6. सहायक प्रमुख (वित्त) 7. न्यायपीठ अधिकारी 8. प्रमुख निजी सचिव 9. प्रमुख निजी सचिव 10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी

उपाबंध-5

वर्ष 2002–03 के दौरान आयोग के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति

(क.) याचिकाएं

गत वर्ष 2001–02 से आगे लाई गई	2002–03* के दौरान प्राप्त कुल याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई याचिकाएं	31.3.03 को लंबित याचिकाएं
177	86	263	104	159

* पुनर्विलोकन याचिकाएं (29), टैरिफ याचिकाएं (40), और अन्य याचिकाएं (17)

वर्ष 2002–03 के दौरान निपटाई गई याचिकाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	याचिका सं०	निम्नलिखित द्वारा फाइल की गई	विषय
थर्मल			
1.	41/ 2000	एनटीपीसी	फरक्का एसटीपीएस हेतु 97-98 और 98-99 के लिए पुनरीक्षित नियत प्रभार और विदेशी मुद्रा दर अंतर
2.	62/ 2000	एनटीपीसी	1-4-00 से 31-3-05 तक कर अवधि के लिए तलचर थर्मल ऊर्जा केंद्र हेतु टैरिफ
3.	71/ 2000	एनटीपीसी	कहलगांव एस टी पी एस के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय और विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण पुनरीक्षित नियत प्रभार
4.	72/ 2000	एनटीपीसी	तलचर एसटीपीएस हेतु अतिरिक्त पूंजी व्यय और विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण पुनरीक्षित नियत प्रभार
5.	76/ 2000	एनटीपीसी	कवास एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय और विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण पुनरीक्षित नियत प्रभार
6.	77/2000	एनटीपीसी	गंधार जी पी एस के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय और विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण पुनरीक्षित नियत प्रभार

7.	81/2000	एनटीपीसी	एनटीपीसी दादरी के संबंध में 97-98 और 98-99 के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण आरएफसी का अनुमोदन
8.	91/2000	यूपीपीसीएल	टांडा टीपीएस के टैरिफ का अवधारण
9.	77/2001	एनटीपीसी	टांडा टीपीएस का टैरिफ
10.	78/2001	एनटीपीसी	गंधार जीपीएस और कवास जीपीएस के लिए प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन
11.	25/2001	एनटीपीसी	एनटीपीसी उत्पादन केंद्रों से प्रदाय किए गए ऊर्जा के लिए निबंधन और शर्त तथा टैरिफ
12.	28/2001	एनटीपीसी	प्रभारों की बिलिंग संबंधी निदेश
13.	29/2001	एनटीपीसी	के.वि.वि.आ. के टैरिफ के निबंधन और शर्तों के उपाबंधों का पुनर्विलोकन
14.	43/2001	एनटीपीसी	रामागुंडम एसटीपीएस के लिए प्रोत्साहन
15.	29/2002	एनटीपीसी	रामागुंडम एसटीपीएस के लिए टैरिफ
16.	30/2002	एनटीपीसी	रिंहद एसटीपीएस के लिए टैरिफ
17.	31/2002	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस के लिए टैरिफ
18.	32/2002	एनटीपीसी	ओरैया जीपीपीएस के लिए टैरिफ
19.	33/2002	एनटीपीसी	फिरोज गांधी ऊंचाहार टीपीएस-1 के लिए टैरिफ
20.	34/2002	एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीएस के लिए टैरिफ
21.	35/2002	एनटीपीसी	विध्यांचल एसटीपीएस के लिए टैरिफ
22.	36/2002	एनटीपीसी	अन्ता जीपीएस के लिए टैरिफ
23.	86/2002	एनटीपीसी	पश्चिमी क्षेत्र में एबीटी के कार्यान्वयन के लिए निदेश हेतु
24.	76/2002	एनटीपीसी	पुनरीक्षित संनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में, निदेशों के लिए अनुरोध
25.	5/2002	एन एल सी	एनएलसी के लिए टीपीएस-2 हेतु पुनरीक्षित टैरिफ
26.	59/2002	एलएलसी	थर्मल पावर केंद्र के लिए टैरिफ
27.	56/2002	स्वप्रेरणा	लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा केंद्र के लिए प्रचालन संबंधी संनियम
28.	146/2002	टीएनईबी	एनटीपीसी द्वारा फाइल की गई याचिका सं. 29/2002 में तारीख 9-10-02 का पुनर्विलोकन आदेश

29.	5/2000	निपको	निपको के अगरतला गैस आधारित टर्बाइन ऊर्जा परियोजना के संबंध में टैरिफ
30.	6/2000	निपको	निपको के असम गैस आधारित ऊर्जा परियोजना के संबंध में टैरिफ
31.	50/2001	निपको	लघु आकार के गैस आधारित थर्मल केंद्रों के लिए प्रचालन संबंधी संनियम

हाइड्रो

1.	25/2002	निपको	कोपली हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए टैरिफ
2.	52/2000	डब्ल्यूबीएसईबी	रनजीत हाइड्रो परियोजना के बारे में, याचिका सं० 3/2000 में पारित तारीख 12-5-2000 के आदेश का पुनर्विलोकन
3.	58/2000	सिक्कम सरकार	रनजीत हाइड्रो परियोजना के बारे में, याचिका सं. 3/2000 में आयोग द्वारा पारित तारीख 15-5-2000 के आदेश का पुनर्विलोकन
4.	59/2001	एनएचपीसी	लोकटक हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए टैरिफ
5.	60/2001	एनएचपीसी	चमेरा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए टैरिफ
6.	61/2001	एनएचपीसी	उड़ी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए टैरिफ
7.	62/2001	एनएचपीसी	टनकपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए टैरिफ
8.	64/2001	एनएचपीसी	सलाल परियोजना के लिए टैरिफ
9.	65/2001	एनएचपीसी	बैरास्यूल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए टैरिफ
10.	4/2003	एएसईबी	याचिका सं. 59/2001 (लोकटक एचईपी परियोजना के लिए टैरिफ) में, तारीख 1-11-02 के आदेश का पुनर्विलोकन
11.	6/2003	ओपीसीएल	सामल हाइड्रो इलैक्ट्रिक ऊर्जा के लिए टैरिफ

पारेषण

1.	6/1999	पीजीसीआईएल	टिहरी - कर्मनासा लाइन के लिए पारेषण टैरिफ
2.	7/1999	पीजीसीआईएल	फरीदाबाद-समयपुर लाइन के लिए पारेषण टैरिफ
3.	8/1999	पीजीसीआईएल	ऊंचाहार कानपुर लाइन के लिए पारेषण टैरिफ
4.	9/1999	पीजीसीआईएल	जयपुर - गजुवाका लाइन और इसके पीछे-पीछे गजुवाका स्टेशन के लिए टैरिफ
5.	10/1999	पीजीसीआईएल	विंध्यांचल - सतना और सतना-बीना लाइन के लिए पारेषण टैरिफ

6.	13/1999	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्रों की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन
7.	14/1999	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन
8.	16/1999	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन
9.	8/2000	पीजीसीआईएल	220 केवीडीसी फरीदाबाद-पल्ला पारेषण लाइन के लिए टैरिफ
10.	9/2000	पीजीसीआईएल	कोरबा-बुधीपदार पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ
11.	12/2000	पीजीसीआईएल	कायमकुलम-पोल्लम पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ
12.	14/2000	पीजीसीआईएल	400 केवीएस/सी कोरबा-रायपुर पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ
13.	15/2000	पीजीसीआईएल	ऊंचाहार - कानपुर पारेषण लाइन के पारेषण टैरिफ
14.	16/2000	ब्रिडको	आयोग द्वारा पारित एबीटी आदेश का पुनर्विलोकन
15.	33/2000	निपको	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में एबीटी का कार्यान्वयन
16.	39/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में अब्दुला-बवाना और नालागढ़ हिसार लाइन के लिए टैरिफ
17.	43/2000	पीजीसीआईएल	वर्ष 94–95 से 2001-02 तक के लिए ईआरएलडीसी के रखरखाव के लिए फीस और प्रभार
18.	46/2000	पीजीसीआईएल	चन्दरपुर एचवीडीसी साथ ही साथ दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ
19.	48/2000	पीजीसीआईएल	मालदा बोगई गांव पारेषण लाइन के लिए टैरिफ
20.	49/2000	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में नागार्जुन सागर एस/केंद्र पर सहबद्ध-बे-उपस्कर सहित 315 एमवीए आईओटी -3 के लिए टैरिफ
21.	63/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर-मोगा के लिए पारेषण टैरिफ
22.	64/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती-किशनपुर लाइन के लिए टैरिफ
23.	65/2000	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में रनजीत-सिलिगुड़ी लाइन के लिए टैरिफ
24.	66/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में सलाल-2-किशनपुर लाइन के लिए टैरिफ
25.	68/2000	पीजीसीआईएल	95–96 से 98–99 के लिए उत्तरी क्षेत्र में रिंहद

			बीआईपोल एचवीडीसी परियोजना के संबंध में, 99-00 के लिए विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण अतिरिक्त रूपया दायित्व की अंतिम वसूली के लिए अनुमोदन
26.	69/2000	पीजीसीआईएल	वमेरा - मोगा लाइन के लिए टैरिफ
27.	70/2000	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में सहबद्ध बेज के साथ विध्यांचल प्रक्रम 1- अतिरिक्त पारेषण प्रणाली लाइन के लिए टैरिफ
28.	73/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में अंता इंड पर सहबद्ध बेज के साथ आरएपीपीबी अंता के लिए टैरिफ
29.	78/2000	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में हैदराबाद के कुड्डप्प में आटो ट्रांसफार्मर के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ
30.	87/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में नालागढ़ नाफ्ता झाकरी - अब्दुलापुर में आईसीटी-1 आईसीटी-2 और बस रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ
31.	89/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में कानपुर उपकेंद्र पर पंकी मैनपुरी लिलो के लिए पारेषण लाइन
32.	99/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में जालंधर-हमीरपुर लाइन के लिए टैरिफ
33.	108/2000	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में गंधार गैस ऊर्जा परियोजना से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ
34.	123/2000	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर-मोंगा लाइन के लिए टैरिफ
35.	2/2001	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में कोलाघाट-रिंगली लाइन के लिए टैरिफ
36.	3/2001	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में जांलधर-जयपुर लाइन के लिए टैरिफ
37.	19/2001	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में रिंहद-दादरी पारेषण लाइन के लिए टैरिफ
38.	24/2001	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में बिहार शरीफ-बेगुसराय पारेषण लाइन के लिए टैरिफ
39.	49/2001	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में चितौडगढ़ डी/सी लाइन के लिए टैरिफ
40.	51/2001	पीजीसीआईएल	मेलकोटला हिसार-जयपुर लाइन, बवाना-भिवानी लाइन, बवाना हिसार लाइन के लिए टैरिफ
41.	52-2001	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में चंदरपुर उप-केंद्र के लिए अंतिम टैरिफ
42.	79/2001	पीजीसीआईएल	मोगा-हिसार-भिवानी पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ
43.	81/2001	आईआरएलडीसी	कहलगांव एसटीपीपी द्वारा आरएलडीसी निदेशों का

			अननुपालन और ग्रिड अनुशासन का अतिक्रमण
44.	83/2001	एसआरएलडीसी	क्षेत्रीय फ्रिक्वेंसी का रखरखाव और आरएलडीसी के निदेशों का अनुपालन
45.	84/2001	डब्ल्यूआरएलडीसी	ग्रिड से अधिक विद्युत लेने में कटौती और डब्ल्यूआरएलडीसी के निदेश का अनुपालन
46.	85/2001	पीजीसीआईएल	कायमकुलम-ईडामन पारेषण लाइन के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ
47.	88/2001	एनईआरएलडीसी	आईईजीसी के उपबंध या ग्रिड अनुशासन संबंधी आयोग के विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन
48.	70/2002	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में रिहंद-दादरी बाई-पोल लाइन के लिए टैरिफ
49.	78/2002	ईआरएलडीसी	माननीय आयोग के निदेश का अननुपालन
50.	80/2002	पीजीसीआईएल	तारीख 21-9-01 की सरकारी अधिसूचना-टैरिफ के निबंधन और शर्तें (पहला संशोधन) विनियम, 2001 पर स्पष्टीकरण
51.	84/2002	पीजीसीआईएल	याचिका सं० 109/2002 में तारीख 22-3-02 के आदेश का पुनर्विलोकन
52.	97/2002	पीजीसीआईएल	याचिका सं० 9/1999 में तारीख 3-6-02 के आदेश का पुनर्विलोकन
53.	102/2002	पीजीसीआईएल	याचिका सं० 48/2000 में तारीख 4-7-02 के आदेश का पुनर्विलोकन
54.	114/2002	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष 2000-01 के लिए एफईआरवी के कारण अतिरिक्त रुपया दायित्व की अंतिम वसूली
55.	124/2002	पीजीसीआईएल	आईपीटीसी मार्ग के माध्यम से बीना-नागदा-देहगांव पारेषण लाइन के कार्यान्वयन के लिए बोली के मूल्यांकन के साथ आगे कार्यवाही करने के लिए अनुमोदन
56.	145/2002	पीजीसीआईएल	याचिका सं० 46/2000 में तारीख 20-8-02 के आदेश का पुनर्विलोकन
57.	03/2003	पीजीसीआईएल	इलाहाबाद-फूलपुर पारेषण लाइन के लिए टैरिफ
58.	23/2000	टीएनईबी	आरएलडीसी के ओ एंड एम व्ययों और ऊर्जा के लेखांकन के लिए आरईबी को प्रदान की जाने वाली कंप्यूटर प्रसुविधाओं की हिस्सेदारी

अन्य

1-	27/2000	पीटीसी	विषयवस्तु मेगा ऊर्जा परियोजना जो कि मेगा ऊर्जा नीति के अंतर्गत गुजरात राज्य में विकसित की जा रही है
2-	92/2000	एसईएपी	याचिका सं० 24/2000 में तारीख 26-9-2000 (हिरमा पावर प्रोजेक्ट) के आदेश का पुनर्विलोकन
3-	54/2001	स्वप्रेरणा	उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली संबंधी विनियम
4-	106/2002	केईआरपीएल	ऊर्जा विपणन और व्यापारिक क्रियाकलाप आरंभ करने का अनुमोदन प्रदान करने हेतु

(ख.) केविविआ के अंतर्वर्ती आवेदन

गत वर्ष 2001–02 से आगे लाए गए अंतवर्ती आवेदनों की संख्या	2002–03 की अवधि के दौरान प्राप्त अंतवर्ती आवेदनों की संख्या	कुल	निपटाए गए आवेदन	31.3.2002 को लंबित अंतवर्ती आवदेनों की संख्या
19	71	90	81	9